राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–5) 176, 177, 178, 179 व 180/2015..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स दिगम्बर एपारेल्स, प्लॉट नं0 7, द्वितीय व तृतीय फ्लोर, जालूपुरा, लिंक रोड़, जयपुर.

बनाम

1. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–तृतीय, वृत–'जी', जयपुर.
2. अपीलीय अधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/03/2015	एकलपीठ श्री मनोहर पुरी, सदस्य अपीलार्थी द्वारा ये पाँच अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः एस–211, एस–212, एस–213, एस–214 व एस–215/AA-I/G/14-15 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 08.01.2015 के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय, वृत–'जी', जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा आलौच्य अवधियों के लिये सृजित मांग राशि की वसूली के स्थगन हेतु प्रस्तुत किये गये स्थगन प्रार्थना–पत्रों को आंशिक रूप से स्वीकार किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रकरणों में बकाया वसूली योग्य राशियों की वसूली की कार्यवाही स्थगित किये जाने हेतु प्रस्तुत किये गये हैं। प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल का दिनांक 09.02.2011 को सर्वेक्षण किया जाने पर व्यवसाय स्थल पर पायी गयी अनियमितताओं के आधार पर आलौच्य अवधियों के पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 04.11.2011 को पारित करते हुए तदनुसार कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 19.02.2013 से स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये गये कि व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने तथा प्रस्तुत रेकॉर्ड का अवलोकन करने के उपरान्त पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किये जावें। उक्त प्रतिप्रेषण निर्देशों की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को उपस्थित होने हेतु जारी किये गये नोटिसों की लगातार.....2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–5) 176, 177, 178, 179 व 180/2015..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स दिगम्बर एपारेल्स, प्लॉट नं0 7, द्वितीय व तृतीय फ्लोर, जालूपुरा, लिंक रोड़, जयपुर.

बनाम

1. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–तृतीय, वृत–'जी', जयपुर.
2. अपीलीय अधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

10/03/2015

पालना में अपीलार्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए विवादित पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.10.2014 को पारित करते हुए निम्न तालिका अनुसार कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेशों के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की गयी, साथ ही वसूली योग्य राशि की वसूली की कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु धारा 38(4) के तहत प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किये गये, जो अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.01.2015 से आंशिक रूप से स्वीकार किये गये।

अतः अपीलार्थी व्यवहारी ने इन अपीलों के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्रों के जरिये प्रकरणों में बकाया मांग राशि की वसूली के स्थगन हेतु निवेदन किया गया है, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :–

अपील संख्या	अपीलीय आदेश क्रमांक	कर निर्धारण अवधि
1	2	3
176/2015	एस–211/AA-I/G/14-15	2006–07
177/2015	एस–212/AA-I/ G/14-15	2007–08
178/2015	एस–213/AA-I/ G/14-15	2008–09
179/2015	एस–214/AA-I/ G/14-15	2009–10
180/2015	एस–215/AA-I/ G/14-15	2010–11

आरोपित				अपी.अधि. द्वारा स्वीकृत स्थगन	चाहा गया स्थगन
कर	ब्याज	शास्ति	योग		
4	5	6	7	8	9
1,73,483	1,73,483	3,46,966	6,93,932	3,00,000	3,76,584
1,18,301	1,04,105	2,36,602	4,59,008	2,00,000	2,47,178
42,111	32,004	84,222	1,58,337	70,000	84,126
2,84,746	1,82,237	5,69,492	10,36,475	5,00,000	5,08,000
92,274	92,274	4,32,217	5,69,996	4,00,000	1,65,382

अपीलार्थी व्यवहारी के स्थगन प्रार्थना–पत्रों पर अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि श्री एस. के. जैन तथा राजस्व के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री एन. के. बैद की बहस सुनी गयी।

लगातार.....3

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–5) 176, 177, 178, 179 व 180/2015..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स दिगम्बर एपारेल्स, प्लॉट नं0 7, द्वितीय व तृतीय फ्लोर, जालूपुरा, लिंक रोड़, जयपुर.

बनाम

1. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–तृतीय, वृत–'जी', जयपुर.
2. अपीलीय अधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 3 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/03/2015	अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि का कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर, अपीलार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए एकपक्षीय आदेश पारित किये जाने में प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत आदेश पारित किये गये हैं। यह भी कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की विवादित बिक्री/खरीद को स्पष्ट किये बगैर अनुमानित रूप से करापवंचित खरीद बिक्री अवधारित करते हुए मांग सृजित किये जाने में भी विधिक त्रुटि की गयी है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी ने भी प्रकरणों में कुल वसूल योग्य मांग राशि में से आंशिक राशि पर स्थगन आदेश जारी करते हुए शेष राशि वसूलनीय होने सम्बन्धी आदेश पारित किये जाने का भी कोई आधार अंकित नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रकरण में प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में बताते हुए प्रकरणों में बकाया वसूली योग्य मांग राशि की वसूली की कार्यवाही को स्थगित किये जाने का अनुरोध किया। प्रत्यर्थी के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेशों व अपीलीय आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किये जाने पर मौके पर ऐसा रिकॉर्ड पाया गया, जिसका व्यवहारी अपनी लेखा–पुस्तकों से सत्यापन कराने में असमर्थ रहा। इसके अतिरिक्त कच्चा माल व तैयार माल भी पाया गया जिसका लेखा–पुस्तकों में इंद्राज नहीं था। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त अनियमितताओं के आधार पर कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण विधि अनुसार किया गया था। इसके अतिरिक्त अपीलीय अधिकारी द्वारा भी प्रतिप्रेषण आदेश में व्यवहारी को अपनी लेखा–पुस्तकें व साक्ष्य कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया गया था, किन्तु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ना तो कोई साक्ष्य प्रस्तुत किये गये एवं ना ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किये गये नोटिस पेशी दिनांक क्रमशः 5.8.2013, 26.5.2014 व 19.2.2013 की पालना में कोई उपस्थित हुआ। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरणों में एकपक्षीय आदेश पारित किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी के स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया। लगातार.....4	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–5) 176, 177, 178, 179 व 180/2015..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स दिगम्बर एपारेल्स, प्लॉट नं0 7, द्वितीय व तृतीय फ्लोर, जालूपुरा, लिंक रोड़, जयपुर.

बनाम

1. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–तृतीय, वृत–'जी', जयपुर.
2. अपीलीय अधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 4 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/03/2015	उभयपक्ष की बहस सुनने, कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों तथा अपील व स्थगन आधारों पर विचार किये जाने के उपरान्त प्रकरण में प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः **प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए शेष वसूली योग्य मांग राशि, जो कि उपरोक्त तालिका के **कॉलम संख्या–9** में अंकित है, की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में उनके समक्ष लम्बित अपीलों का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। निर्णय सुनाया गया। 10.03.2015 **सदस्य** **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर**	